

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र / 2 / 12 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 26.10.2012

- आदेश :-

श्री दिनेश कुमार जैन, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 4/17/2009 सेवा निवृति दिनांक 31.10.2034 के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 4/सी/8, गौधीनगर जयपुर रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :—

शर्त :-

अवंटन की तिथि

- आवास का कब्जा अवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पली/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तांत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- श्री जैन के बेतन से कौमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि ₹ 150/- प्रतिमाह काटी जाकर राजकोष में जमा करानी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
- सहायक सचिव (संस्थापन), राजस्थान विधान सभा जयपुर।
- कोषाधिकारी, जयपुर, जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रधम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, साठनीवी/जन स्वा० अभी० वी०/जयपुर विवी०निगम लि०, गौधीनगर, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी। 9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव